दिनांकः 24.08.2020

प्रेस नोट

डॉ0 विपिन ताडा, पुलिस अधीक्षक, जनपद अमरोहा के निर्देशन में आज दिनांक 24.08.2020 को जनपद में अपराधियों के विरूद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः-

- थाना बछरायुँ पुलिस द्वारा अभियुक्त अशोक पुत्र कावेन्द्र निवासी ग्राम ढयोटी थाना बछरायुँ जनपद अमरोहा को मय 01 तमन्चा 315 बोर व 02 कारतूस जिन्दा 315 बोर के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना बछरायुँ पर अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- थाना हसनपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त राफल पुत्र मंगला निवासी ग्राम आजापुर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को मय 40 लीटर अवैध शराब के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना हसनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- थाना हसनपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त 1. गेन्दा पुत्र शंकर 2. तुलाराम पुत्र हरचन्दी निवासीगण ग्राम दयावली खालसा थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को मय 50 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना हसनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- थाना हसनपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त 1. पूरण पुत्र सुख्खन 2. अमर सिंह पुत्र दयाराम 3. परशुराम पुत्र रामलाल निवासीगण ग्राम कालका वाली डगरौली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को मय 52 पत्ते ताश व 1870 रूपये के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना हसनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- थाना आदमपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या करने के सम्बन्ध मे पंजीकृत अभियोग मे वाँछित अभियुक्त महावीर पुत्र अमीचन्द निवासी ग्राम खरगुरगी उर्फ रानीवाला थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।
- थाना आदमपुर पुलिस द्वारा पशू क्रूरता अधिनियम के सम्बन्ध मे पंजीकृत अभियोग मे वाँछित अभियुक्त बाले पुत्र रामचरन निवासी ग्राम खुर्तिया थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को मय एक रस्सी व डन्डे के गिरफ्तार किया कर कार्यवाही की गयी।
- थाना आदमपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने के सम्बन्ध मे पंजीकृत अभियोग मे वाँछित अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र हरिओम निवासी ग्राम काई मुस्तकम थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।
- जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 12 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना डिडौली पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना बछरायुँ पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना गजरौला पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति, थाना रजबपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, व थाना हसनपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।